



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24112022-240540
CG-DL-E-24112022-240540

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5226]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 23, 2022/अग्रहायण 2, 1944

No. 5226]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 23, 2022/AGRAHAYANA 2, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2022

का.आ. 5455(अ).—केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 जी के उपधारा (5) के अनुसरण में, नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिए एतद्वारा मध्य स्थनियुक्त करती है जो उक्तसारणी के कॉलम (3) और(4) में यथाविनिर्दिष्ट अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके तहत मध्यस्थ को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करेगा। मध्यस्थ द्वारा पंचात करते समय इस अधिनियम की 3 जी की उपधारा (6) और (7) को ध्यान में रखा जाएगा।

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारी का पदनाम	राजस्व जिला	राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1	जिलाधिकारी कासगंज	• कासगंज	उत्तर प्रदेश
2	जिलाधिकारी एटा	• एटा	उत्तर प्रदेश

[फा. सं. NHAI/PIU/AGRA/LA/ARBITRATOR/NOTIFICATION]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd November, 2022

S.O. 5455(E).—In pursuance of sub-section (5) of Section 3G of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby appoints the Officer mentioned in column (2) of the Table below, to be Arbitrator for the purpose of the said sub-section, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed, on an Arbitrator by or under the said Act within the local limits of his respective jurisdiction as specified in column (3) and (4) of the said Table. Sub – Section (6) & (7) of Section – 3G of the Act shall be taken into consideration while passing awards by the Arbitrator.

TABLE

Sl. No.	Designation of the Officer	Revenue District	State
(1)	(2)	(3)	(4)
1	District Magistrate Kasganj	• Kasganj	UTTAR PRADESH
2	District Magistrate etah	• ETAH	UTTAR PRADESH

[F. No. NHAI/PIU/AGRA/LA/ARBITRATOR/NOTIFICATION]

RAJESH GUPTA, Director